पूर्व मध्य रेल
(निर्माण संगठन)

कार्यालय आदेश सं0-अराज/22/2021

महाप्रबंधक (कार्मिक) पूमरे हाजीपुर के प.स. सं0 ECR/HQ/PER/[illegible]/28/2020/[illegible] दिनांक 21.12.2020 के अनुपालन में अनुकम्पा के आधार पर श्रीमती रश्मि कुमारी को अस्थाई रूप से वेतन मैट्रिक्स Level-1 in 7th CPC के पद पर वेतन ₹ 18000/- प्रतिमाह एवं समय समय पर स्वीकार्य अन्य भत्तों के साथ उनके नाम के सामने अंकित अधिकारी के अधीन तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है –

अभ्यर्थिनी का नाम	मृतक कर्मचारी का नाम पदनाम	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	Community	Medical Category	Posted Under	Lien
श्रीमती रश्मि कुमारी	स्व. उदय कुमार मुख्य स्टेशन मास्टर, सीवान	08.03.1976	[illegible]	UR	[illegible] A-2 & Below without glass	Dy. CE/Con/General MHX/Patna	Personnel HQ/HJP

इनकी नियुक्ति तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होने वाली सभी नियमों एवं शर्तों से शासित होगी। रेल सेवा के प्रथम दो वर्ष Probation Period माना जाएगा। चरित्र सत्यापन के दौरान पुलिस के विपरीत प्रतिवेदन आने पर तथा शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण–पत्रों के किसी भी भाग के सत्यापन के पुष्टि नहीं होने पर इनकी सेवा समाप्त की जा सकती है।

इन्हें आवश्यकतानुसार प्रादेशिक सेना के लिए जो अवधि निर्धारित की जाएगी, सैन्य सेवा करनी होगी।

रेल सेवा में नियमित होने पर इनकी सेवा रेलवे बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 01.01.2004 से लागू नए पेंशन योजना के अनुसार शासित होगी।

उपरोक्त अभ्यर्थिनी की नियुक्ति तिथि संबंधित इकाई में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मानी जाएगी।

नोट–अभ्यर्थिनी को नियमानुसार नियुक्ति तिथि से दो वर्षों के अन्दर टंकण अर्हता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है जिसके लिए नियुक्ति तिथि से दो वर्षों के भीतर तीन अवसर दिए जायेंगे। नियुक्ति से टंकण अर्हता प्राप्त कर लेने तक की सेवा अनन्तिम होगी। निर्धारित अवधि में टंकण अर्हता उत्तीर्ण नहीं करने पर गैर–लिपिकीय एवं गैर–वाणिज्यिक कोटि में पदस्थापित कर दिया जाएगा। (आरबीई 11/2014 दि. 29.01.2014)

उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

श्रीमती रश्मि कुमारी का फोटो, हस्ताक्षर तथा LTI निम्नवत है –

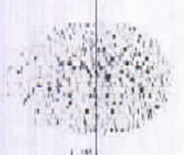

LTI

रश्मि कुमारी
Rashmi Kumari
Signature

Signed by Arvind Kumar Sharma
Date: 18.02.2021 18:45:35
Reason: Approved
(अरविन्द कुमार शर्मा)
वरि0 कार्मिक अधिकारी / निर्माण
पूमरे / महेन्द्रूघाट, पटना।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

- महाप्रबंधक / कार्मिक / पूमरे / हाजीपुर।
- सचिव, CAO Con North को CAO Con North महोदय के सादर सूचनार्थ।
- सचिव, CAO Con South को CAO Con South महोदय के सादर सूचनार्थ।
- मुख्य कार्मिक अधिकारी / विधि एवं निर्माण / महेन्द्रूघाट / पटना।
- विसमुलेधि / नि / पूमरे / महेन्द्रूघाट, पटना।
- उप मुइं / निर्माण / सामान्य / महेन्द्रूघाट / पटना।
- सचिव, ईसीआरकेयू / मुख्यालय निर्माण शाखा, महेन्द्रूघाट, पटना।
- कार्यालय / MPP, Pass, Bills / नि0 / महेन्द्रूघाट, पटना।
- अभिलेख प्रति।
- संबंधित कर्मचारी।